

HEALTH & SAFETY POLICY

At ArcelorMittal Nippon Steel India our goal is for everyone to go home healthy and safe every day. This requires belief, commitment, and hard work at all levels of the organization and goes well beyond legal compliance.

We are committed to the following principles to guide our decision-making and actions:

- 1. All injuries and work-related illness can and must be prevented
- 2. Management is accountable for health & safety performance
- 3. Employee engagement and training is essential
- 4. Working safely is a condition of employment
- 5. Health & safety must be integrated into all business management processes
- 6. Excellence in health & safety drives excellence in business results

To achieve this, we shall:

- 1. Require our leaders to be visible health & safety champions, consistently setting high standards, inspecting the presence and effectiveness of controls, undertaking high quality shop floor interactions and addressing potential health & safety impacts in all decisions.
- 2. Foster a caring, supportive, and empowering culture on the shopfloor.
- 3. Actively involve employees and contractors in all areas of health & safety management.
- 4. Provide all employees with effective training at no cost so that they can lead and work safely.
- 5. Identify hazards, evaluate, and control risks using the hierarchy of controls.
- 6. Ensure that all employees and contractors' employees take action, including stopping work, when they deem the conditions are unsafe or lifesaving golden rules are not being met ('see and act').
- 7. Report all high potential incidents and situations, investigate them, analyse trends, and apply learnings.
- 8. Focus on correcting the organisational causes of serious injuries and fatalities (SIFs).
- 9. Establish leading and lagging metrics and targets for management to improve health & safety performance.
- 10. Drive continuous improvement through an effective health & safety management system (including our fatality prevention standards) and the sharing of best practices.
- 11. Select and manage contractors based on their health & safety performance and programmes.
- 12. Provide inherently safe workplaces and equipment, keep them clean, tidy and maintain them in good condition.
- 13. Protect the health and enhance the wellbeing of employees and local communities.
- 14. Comply fully with all legal and all other applicable requirements.
- 15. Conduct assurance of the effectiveness of this policy through a combination of self-assessment, group assurance and external audit.

This policy applies to all ArcelorMittal Nippon Steel India operations (including joint ventures where we have majority ownership or operational control) and covers all ArcelorMittal Nippon Steel India employees and contractors' employees performing work on ArcelorMittal Nippon Steel India's premises. In cases where there are differences between local legislation and ArcelorMittal Nippon Steel India's H & S requirements, the more stringent requirements will always be followed.

/ Dilip Oommen

Chief Executive Officer ArcelorMittal Nippon Steel India

Date: February 09, 2023





स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति

आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया में हमारा लक्ष्य है कि रोजाना सभी व्यक्ति स्वस्थ और सुरक्षित घर जाए। इसके लिए संगठन के सभी स्तरों पर विश्वास, प्रतिबद्धता और कडी मेहनत की आवश्यकता होती है और हमारे लिए यह कानूनी अनुपालन के साथ अतिरक्त महत्वपूर्ण भी है।

हम अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया और कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

- 1. सभी चोट/हानि और काम से संबंधित बीमारियों को रोका जा सकता है और इसे अवश्य ही रोका जाना चाहिए
- स्वास्थ्य और सुरक्षा के कामकाज व निष्पादन के लिए प्रबंधन जवाबदेह है
- कर्मचारियों की सहभागिता और प्रिक्षण आवश्यक है
- 4. कार्य करने की सुरक्षा रोजगार की एक रार्त है
- 5. स्वास्थ्य और सुरक्षा को सभी व्यवसाय प्रबंधन प्रक्रियाओं में एकीकृत किया जाना चाहिए
- श्रेष्ठ स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रणाली व्यावसायिक परिणामों में उत्कृष्टता लाती है

इसे हासिल करने के लिए, हमारे लिए निम्न मुद्दें बहुत महत्वपूर्ण है:

- 1. हमारे लीडरों को स्वास्थ्य और सुरक्षा के चैंपियन/हिमायती होने की आवश्यकता है। इसके लिए लगातार उच्च मानक स्थापित करना, नियंत्रणों की प्रभावशीलता का निरीक्षण करना, कार्यस्थल पर उच्च गुणवत्ता वाले नियमों और प्रक्रियाओं को बेहतर तरीके से लागु करना तथा सभी निर्णयों में संभावित स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रभावों को संबोधित करना जरूरी है।
- 2. श्रिमकों के कामकाज एवं उत्पादन के स्थलों पर देखरेख, सहयोग और सञ्चाक्तिकरण की संस्कृति को बढावा देना।
- 3. स्वास्थ्य, सुरक्षा और प्रबंधन के सभी क्षेत्रों में कर्मचारियों और ठेकेदारों को सक्रिय रूप से शामिल करना।
- 4. तमाम कर्मचारियों को बिना किसी लागत के प्रभावी तरीके से प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे वे सुरक्षित रूप से नेतृत्व कर सकें और काम कर सकें।
- 5. नियंत्रण के क्रम अनुसार खतरों/जोखिम की पहचान करना और जोखिमों का मूल्यांकन और नियंत्रण करना।
- 6. जब जरूरी शर्तों को असुरक्षित माना जाता हो या जीवन रक्षक नियमों को पूरा नहीं किया जा रहा हो, ऐसे में यह सुनिश्चित करना कि सभी कर्मचारियों और ठेकेदारों के कर्मचारी काम रोकने सिहत कार्रवाई करते हैं (समय और स्थिति के मद्देनजर देखना और कार्य करना)।
- 7. सभी उच्च संभावित घटनाओं और स्थितियों की रिपोर्ट करना, उनकी जांच करना, ट्रेन्ड का विश्लेषण करना और अपने कौशल अनुसार शिक्षा/सीख पर अमल करना।
- 8. गंभीर चोट/क्षति और जानहानि (SIFs) के संगठनात्मक कारणों को सुधराने पर ध्यान केन्द्रित करना।
- 9. स्वास्थ्य और सुरक्षा के कामकाज में सुधार और इसे बेहतर बनाने, प्रबंधन के लिए लक्ष्य स्थापित करना।
- 10. प्रभावी और असरकारक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (हमारे मृत्यु रोकथाम मानकों सिहत) और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के माध्यम से निरंतर सुधार करना।
- 11. स्वास्थ्य और सुरक्षा के कार्य-निष्पादन और कार्यक्रमों के आधार पर ठेकेदारों को चुनना और प्रबंधित करना।
- 12. स्वाभाविक रूप से सुरक्षित कार्यस्थल और उपकरण प्रदान करना, उन्हें साफ सुथरा रखना और उन्हें बेहतर स्थिति में बनाए रखना।
- 13. स्वास्थ्य की रक्षा करना और कर्मचारियों और स्थानीय समुदायों के कल्याण में वृद्धि करना।
- 14. तमाम कानूनी और अन्य सभी लागू आवश्यकताओं का पूरी तरह से पालन करना।
- 15. स्व-मुल्यांकन, समूह बीमा और बाह्य ऑडिट के संयोजन के माध्यम से इस नीति की प्रभावशीलता को आश्वस्त करना।

यह नीति आर्सेलरिमत्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के सभी पिरचालन स्थलों पर लागू होती है, जिसमें संयुक्त उद्यम भी शामिल हैं, जहां हमारे पास बहुसंख्यक स्वामित्व या पिरचालन नियंत्रण है और आर्सेलरिमत्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के पिरसर में काम करने वाले सभी आर्सेलरिमत्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के कर्मचारियों और ठेकेदारों के कर्मचारियों को कवर करती है। ऐसे मामलों में जहां स्थानीय कानून और आर्सेलरिमत्तल निप्पॉन स्टील इंडिया की H & S आवश्यकताओं के बीच मतभेद हैं, वहां अधिक कठोर आवश्यकताओं का हमेशा पालन किया जाएगा।

/ दिलीप ओम्मेन

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी) आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया

दिनांक: फरवरी 09, 2023

